

फॉर्म आह्वान

नियम 26

अज अदालत.....सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक.....मुकाम.....भादरा.....

.....धापी बनाम सुभाषचंद्र आदि.....

किसम मुकदमा.....212 आरटीएक्ट.....नं० ..58/21 रान्..... 2021.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फॉर्म आह्वान की हुकम की तारीख जारी हुआ
------------	---------------------------------	--

06.07.2021 प्राथीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता राजेन्द्र जाखल के द्वारा पेश किया गया। वकील प्राथीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मांगला व सुविधा का सन्तुलन प्राथीया के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के बाके रोही मोजा घेउ के खाता सं० 372/362 के खसारा सं० 64 की 3.3890है०, खसारा सं० 162 की 8 0050है०, खसारा सं० 665/1 की 2.8580है० कुल 14.2520है० बाराणी खातेदारी वादभूमि में अप्रार्थी सं० 1 प्राथीगण के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की दखलअदाजी ना करें व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज एवं ऐतराज हो तो न्यायालय में असालतन एवं वकालतन दिनांक 16.08.2021 को उपस्थित आकर वजह जाहिर करें अन्यथा क्यों ना ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दी जावे। वकील प्राथी अप्रार्थीगण की तलवी रजिस्टर्ड एडी से करवाकर रसीदे न्यायालय में 03 दिवस में पेश करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली दिनांक 16.08.2021 को पेश हो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

16.08.21 वकील वादी/प्रतिवादी/प्राथी/अप्राथीउप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.....को पेश हो।
दिनांक 16.11.21 को पेश हो।

16.11.21 फास्ट ट्रेक उज/अनु/पत्रावली को पेश
हुयी। पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते.....को पेश
राजीनतन.....को पेश
न्यायालय.....को पेश
दिनांक 16.11.21 को पेश

10/1/22 पत्रावली भाज धली के धारण पत्र पर पेश
में ती भाज पत्रावली से सम्बन्धित मूल
वार रवातन विज्ञापन पर धारण
अतः पत्रावली अनर्गल 212 धारण
रवातन विज्ञापन पत्रावली न्यायालय
में हम धारण 212 धारण पत्रावली

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अनिल वादी
अ.नि. वादी